



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1943 (श10)
(सं० पटना 621) पटना, शुक्रवार, 23 जुलाई 2021

सं० 3/एम0-13/2021-7446/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
23 जुलाई 2021

विषय :- दिनांक-01.04.2020 से संकल्प निर्गत किए जाने के माह तक सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मियों के संविदा नियोजन के संबंध में।

राज्य सरकार के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मी बड़ी संख्या में दिनांक-01.04.2020 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सम्प्रति बिहार सरकार में प्रोन्नति की कार्यवाई सम्प्रति अवरुद्ध है। सेवानिवृत्ति एवं प्रोन्नति की कार्यवाई बाधित रहने के फलस्वरूप विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के प्रोन्नति के पद बड़ी संख्या में रिक्त हो रहे हैं जिन पर वर्तमान परिस्थिति में तत्काल पदस्थापन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

2. वहीं वर्ष 2020 से ही कोविड संक्रमण एवं इसकी दूसरी लहर तथा अन्य विकास कार्यों को ससमय पूरा करने की प्रतिबद्धता के कारण सरकार के प्रशासनिक ढाँचे पर बोझ बढ़ने के साथ-साथ सम्प्रति सरकार में कार्यरत पदाधिकारी का कार्यबोझ काफी बढ़ गया है। कर्मियों की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण भी यह कार्यबोझ दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है।

3. यहाँ उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन का प्रावधान एवं उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। ऐसा संविदा नियोजन मात्र उन्हीं पदों के विरुद्ध किया जाना सम्भव है जिन पदों को उक्त संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित किया गया हो। क्योंकि राज्य सरकार के सभी सेवाओं/संवर्गों के सभी पद उक्त संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, अतः इस संकल्प के माध्यम से वर्तमान समस्या का निराकरण सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

4. विचाराधीन मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि -

(i) राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के दिनांक-01.04.2020 से संकल्प निर्गत किए जाने के माह तक सेवानिवृत्त सभी इच्छुक राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मियों (राज्य सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर अर्थात् वेतन स्तर 8700/- अथवा उससे न्यून वेतन स्तर तक के सेवानिवृत्त कर्मी, सचिव/विभागाध्यक्ष को छोड़कर) को अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित होने का अवसर दिया जाय। संविदा नियोजन उसी पद के विरुद्ध किया जायेगा, जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ii) यह व्यवस्था सिर्फ एक बार के लिए होगी।

- (iii) सेवानिवृत्त कर्मी द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा नियोजित किये जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए तदनुसार अनुरोध एतदर्थ प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित प्राधिकार के समक्ष समर्पित करना होगा। समर्पित अनुरोध की समीक्षा में प्राधिकार द्वारा जाँचोपरान्त यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लम्बित नहीं हो तथा किसी अनुशासनिक/ आपराधिक मामले में सेवाकाल के अन्तिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड नहीं दिया गया हो तथा अन्तिम 05 वर्ष में कोई दण्ड नहीं दिया गया हो।
- (iv) संबंधित प्राधिकार द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उपरान्त सूचीबद्ध मामलों को निम्न अनुसार गठित किसी समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित किया जायेगा—
- (क) अराजपत्रित कर्मियों के मामलों पर विचार के लिए समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा—
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| प्रशासी विभाग के सचिव | — अध्यक्ष |
| सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| वित्त विभाग के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| अनु0जा0/अ0ज0जा0 के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| प्रशासी विभाग के स्थापना प्रभारी | — सदस्य सचिव |
- (ख) राजपत्रित कर्मियों के मामलों पर विचार के लिए समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा—
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| मुख्य सचिव | — अध्यक्ष |
| सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव | — सदस्य |
| वित्त विभाग के प्रधान सचिव | — सदस्य |
| अनु0जा0/अ0ज0जा0 के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| प्रशासी विभाग के सचिव | — सदस्य सचिव |
- (v) समिति की बैठक में ऐसे मामलों पर विचार कर समिति अपनी अनुशंसा देगी।
- (vi) समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रशासी विभाग के विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए संविदा नियोजन का आदेश निर्गत किया जायेगा। तदुपरान्त संबंधित कर्मी से असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए उनका पदस्थापन किया जायेगा।
- (vii) यह व्यवस्था संविदा नियोजन का आदेश निर्गत होने की तिथि से मात्र अगले एक वर्ष तक के लिए प्रभावी होगी। एक वर्ष के अन्दर संबंधित पद पर नियमित प्रोन्नति/नियुक्ति से सुयोग्य कर्मी के उपलब्ध होते ही यह संविदा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. यह तुरत प्रवृत्त होगा।
आदेश — आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
 चंचल कुमार,
 सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 621-571+10-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>